

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसंचित जीवाजी  
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न  
कि टिकटी अब्द्य पदाधिकारी के नाम से।  
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र  
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक  
अवश्य लिखा जावे जिससे संविधा हो।



ग्राम : यूनीवरिटी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :  
कुलसंचित,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर  
क्रमांक:एफ/महा.वि.प./2011/ 3506

दिनांक: 30/07/11

## // अधिसूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध अशासकीय महाविद्यालयों की शासी निकाय की समितियों में परिनियम 28(भाग-3) की धारा 6(1)(सी) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19 मई, 2011 के पद क्रमांक (30) के (अ-अ-12) पर लिये गये निर्णयानुसार शासी निकाय में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मनोनीत किये जाते हैं :-

महाविद्यालय का नाम : मेट कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन, सतनवाड़ा शिवपुरी

मनोनीत सदस्य : 1. श्रीमती गायत्री मण्डेलिया, सदस्य, कार्यपरिषद्  
2. डॉ. के. द्विवेदी, आचार्य, रसायन अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर

उपरोक्त सदस्यता दो वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।

अधिकारी  
महाविद्यालयीन विकास परिषद

### प्रतिलिपि:-

- सम्बन्धित प्रतिनिधियों की ओर सूचनार्थ।
- प्राचार्य, मेट कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन, सतनवाड़ा शिवपुरी की ओर भेजकर तत्काल प्रभाव से शासी निकाय में मनोनीत सदस्यों को सूचित करते हुये पत्र प्राप्त होने के एक माह की अवधि में प्रथम शासी निकाय की बैठक बुलाई जावे। इस तरह कम से कम एक वर्ष में तीन बार शासी निकाय की बैठक होना अनिवार्य है तथा बैठक होने के तुरन्त बाद पूर्ण विवरण एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करें तथा साथ में आपको यह भी सूचित किया जाता है कि मनोनीत सदस्यों को कॉलेज कोड 28 शिक्षण संस्थान अधिनियम 1978 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्गदर्शिका प्रथम बैठक के पूर्व में प्रदान करें।

शासी निकाय की बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों का ठी.ए./डी.ए. महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

अधिकारी  
महाविद्यालयीन विकास परिषद

## जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त यज्ञ व्यवहार कुलसंचय जीवाजी विश्वविद्यालय के लाभ से ही किया जावे जि कि निर्मित अथवा प्रदानिकारी के बास हो।  
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्ण में पत्र लगादर कुआ हो तो पत्र क्लाउक एवं दिवालक अवधार सिद्धा जावे जिससे सुधिता हो।



ग्राम : चुनीवरपुरी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :  
कुलसंचय,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर  
क्रमांक/एफ/सम्बन्धता/2009/ 4516

दिनांक: 09/02/12

### // सूचना //


जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ले सम्बन्ध मेट कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन, सतनगाड़ा, ए.बी. रोड, शिवपुरी (07492-280931) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संबलित बी.एड. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अवधारी सम्बन्धता हेतु अनुशंसाएं प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति मठोद वात्यायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्वर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. एस.के. शुक्ला, आचार्य, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)  
(0751-2442633)
- (2) श्रीमती सुनीता तिवारी, आचार्य, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।
- (3) डॉ. मुकेश कटारे, आचार्य, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रवधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वार्षिक शैक्षणिक/अशैक्षणिक टर्फँक, प्राधिकृत संरक्षा एवं प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, कीषा परिसर एवं पाल्यक्रम/आर्डिनेन्स तथा पिछ्ले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक टर्फँक की वियुक्तियों का प्रमाण एवं रेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण अनुसंधाने अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अच्युत सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उक्त विधायित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

निरीक्षण समिति गढ़ का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देरी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदारी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, ग्रोपल को भेज दी जाएगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण बही कराता है तो समिति खत: विरस्त हो जाएगी और पुनः निरीक्षण समिति गढ़ हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वल्प प. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात ही निरीक्षण समिति का पुरुग्रन्थ किया जाएगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बन्धता प्राप्त किए जिन छात्रों को प्रवेश देना अवैधायिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बन्धता शास्त्र में कार्यालय अधीक्षक / कार्यालय सहायक प्रशाली लेकर जावेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मार्केट महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

  
कुलसचिव

#### प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अच्युत, संबंधित महाविद्यालय की ओर अंजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्वर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, संतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

३५   
सहायक कुलसचिव (सम्बन्धता)